''वमिन कुल्लि शैइन ख़लक़ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून''

(अज़्ज़ारियात आयत–49)

काएनात में 'शादी' करने का दस्तूर

(पिछले शुमारे से आगे)

हुज्जतुल इस्लाम हुसैन अन्सारियान
अनुवादक : मु0 र0 आबिद

शादी का महत्तव – हदीसों की रोशनी में

इस्लाम में घरेलू सिस्टम से जुड़े सभी मुद्दे इन्शाअल्लाह सिलसिले से आगे बयान किये जायेंगे। अभी हदीसों (रसूल स0 और उनके मासूम अहलेबैत के पाक कथनों) की भरोसी वाली विश्वस्त किताबों से शादी की अहमियत और निकाह के फ़ायदे के बारे में कुछ हदीसें दुहरायी जा रही हैं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इन हदीसों पर ग़ौर करें। मुम्किन है कि इस तरह आपको नैतिक और आचरण के मुद्दों की जानकारी हो जाय (यदि अभी तक नहीं है) और यह भी जान जायें कि किसी मज़हब के पास इस्लाम जैसा सुन्दर, तर्कसंगत और सूझबूझ वाला प्लान नहीं है।

रसूल (स0) से रिवायत है यानी आप (स0) का पाक बयान है जो दुहराया गया है :–

''चार मौक़ों पर इन्सान के लिए आसमान के दरवाज़े खुलते हैं – बारिश होने के वक़्त, जब बेटा प्यार से बाप के चेहरे को देखता है, जब काबे का दरवाज़ा खुलता है और निकाह के समय।

रसूल (स0) ने फ़रमाया है :–

'शादी करो, अपने बिनब्याहे बेटे बेटियों की शादी करो। एक मुसलमान के सौभाग्य की यह निशानी है कि किसी औरत से शादी का ख़र्चा उठाये। अल्लाह के नज़दीक उस घर से जो इस्लाम में निकाह से बसे, उससे ज़्यादा कोई चीज़ चहीती नहीं है।'

हज़रत मुहम्मद (स0) की सूक्ति है :–

'अपने बिनब्याहे मर्दों की शादी कर दो ताकि ख़ुदा उनके चाल–चलन को संवार दे, उनकी रोज़ी–रोटी में फैलाव कर दे और उनकी रु–रियायत बढ़ा दे।

हमारे प्यारे नबी (स0) का कहना है :–

'निकाह मेरी सुन्नत (सदावृति, चलन) है, जो मेरी सुन्नत से फिरा, वह मुझसे नहीं है।'

हमारे रसूल (स0) ने कहा है :–

'जिसने शादी कर ली उसने आधा दीन पा लिया, दूसरे आधे हिस्से के लिए अल्लाह का तक़वा (डर) अपनाये।'

हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ (अ0) का पाक कहना है :–

'एक आदमी मेरे पिताश्री हज़रत इमाम मुहम्मद बाक़िर (अ0) की सेवा में आया, आप (अ0) ने उससे पूछा क्या बीवी रखते हो? उसने कहा कि नहीं। तो पिता श्री ने उससे फ़रमाया कि अगर मुझे दुनिया और उसमें जो कुछ है सब दे दिया जाये और एक रात बिना बीवी के बिताने को

कहा जाये, तो मैं उसे न मानूँगा। और बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि शादी किये हुए एक मर्द की दो रकात नमाज़ उस बिनब्याहे मर्द की इबादत (भक्ति–उपासना) से ज़्यादा है जो रात भर इबादत करता है और दिन भर रोज़े रखता है। इसके बाद मेरे पिता श्री ने उसे सात दीनार दिये और कहा कि इससे अपने शादी का सामान जुटाओ क्योंकि रसूल (स0) ने फ़रमाया है कि शादी करो क्योंकि इससे रोज़ी–रोटी में फैलाव होता है।'

रसूल (स0) ने फ़रमाया है :–

'जवानों! जो भी तुममे से सकत और हैसियत रखता हो उसे शादी कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारी आँखें कम से कम औरतों का पीछा करें और तुम्हारा दामन पाक रहे (चाल चलन सही रहे)'

हमारे सर्वश्रेष्ठ नबी (स0) का कहना हैः–

'इस्लाम में खुदा की सबसे चहीती (प्रियतम) चीज़ शादी है।'

यह भी फ़रमाया :–

'जिसने शादी कर ली उसने आधी भलाई (शुभ मंगल) पा ली।'

महामहिम रसूल (स0) ने यह भी कहा हैः–

'कोई भी जवानी में शादी नहीं करता मगर यह कि शैतान गुहार लगाता है कि हाय हो इस पर, इसने मुझसे अपना दो तिहाई दीन बचा लिया। अब बन्दे को बाक़ी एक तिहाई धर्म के लिए ख़ुदा का तक़वा अपनाना चाहिए।'

हाँ तो शादी का इतना महत्व है, इस पर इतना ज़ोर दिया गया है। इससे औरत और मर्द को कितना फायदा पहुँचता है और इस्लाम ने इतनी ज़्यादा अहमियत बयान की है।

काश! समाज इस ख़ुदाई और इन्सानी काम को आसान बनाने की कोशिश करता और अड़चने खड़ी करने और सकत–तोड़ शर्तें लगाने से बचता, अपनी सकत के लिहाज़ से रसमों को पूरा करता और इस बारे में कमख़र्ची से काम लेकर अपनी हैसियत से कार्रवाई करता ताकि लड़के–लड़कियाँ अपनी स्वभाविक व प्राकृतिक इच्छाओं को पूरा कर सकते, उनकी आशाएँ पूरी हो जातीं और उनका सेक्स, जो ख़ुदा की एक नेमत है, यह नेमत नकारने और ठुकराने से बच जाती, उनके पाक चाल–चलन गुनाह से गन्दे न होते। इच्छाओं का घुटकर रहना, स्वभाव सेक्स में घुमाव करना, गन्दगी बुराई का फैलना, गुनाह की लत, मोह, बलात्कार, हस्तकारी, दूसरों की इज़्ज़त पर हाथ साफ़ करना, विद्या और इबादत में सुस्ती, मानसिक (Mental) व मनोवैज्ञानिक (Psychological) रोगों का उभरना और ऐसी ही दूसरी मुसीबतों का सोता कहाँ से फूटता है?

इन सवालों के जवाब पहले चरण में कठोर स्टैण्ड/रवैये अपनाने वाले, रस्मों के बन्दी माँ–बाप से, दूसरे मरहले में ख़ुद उन लड़के लड़कियों से जो ख़ुदा का डर नहीं रखने और तीसरे चरण में उन लोगों से माँगना चाहिए जो जवानों की शादी का सामान जुटा सकते है लेकिन ख़ुदा के लिए माल ख़र्च करने में कन्जूसी से काम लेते हैं। जो भी इस दुनिया में समझदारी भरा तर्कसंगत और मानने योग्य जवाब देगा क़यामत के दिन भी ख़ुदा की कचहरी और अदालत में यही जवाब देगा। □□□